

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-08/2017 6049 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा-3 सह पठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नगर परिषद, बहेड़ी के सृजन के लिए निम्नलिखित आदेश का प्रारूप प्रकाशित करना चाहते हैं, जिसे उससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों की जानकारी एवं आपत्ति/सुझाव, यदि कोई हो, दाखिल करने हेतु इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन से एक माह के बाद उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा।

प्रारूप प्रकाशन की अवधि में संबंधित प्रण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी के माध्यम से जो भी आपत्तियाँ/सुझाव प्राप्त होंगी उनपर उक्त अधिनियम की धारा-5 के अधीन विचार किया जायेगा।

प्रारूप आदेश

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-08/2017 6049 /बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा 3 की उपधारा (1) (ख) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा दरभंगा जिला के प्रखण्ड बहेड़ी के निम्नलिखित ग्रामों की परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों में, जिनकी चौहद्दी नीचे दी गई है, प्रशासनिक उपबंध करने तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों को उक्त क्षेत्र में लागू करने के लिए एक नया नगर परिषद, बहेड़ी के सृजन की घोषणा करते हैं:-

1. ग्रामों के नाम एवं थाना नं०

(क)	ग्राम का नाम	थाना सं०
(क)	1. बहेड़ी का अंश	81 ( बहेड़ी पूर्वी पंचायत)
	2. बहेड़ी का अंश	81 ( बहेड़ी पश्चिमी पंचायत)
	3. लागोपुर	75 ( समधपुरा पंचायत)
	4. सोनमा	78 ( समधपुरा पंचायत)
	5. बकमण्डल	79 ( समधपुरा पंचायत)
	6. समधपुरा	80 ( समधपुरा पंचायत)
	7. आधारपुर का अंश	73 ( समधपुरा पंचायत)
	8. बघौनी	87 ( बघौनी पंचायत)

(ख) चौहद्दी

उत्तर	गंगदह
दक्षिण	शिवाजीनगर (जिला-समस्तीपुर)
पूरब	मनोरभौराम (प्रखण्ड-बिरौल)
पश्चिम	हथौड़ी दक्षिणी

इस क्षेत्र को नगर परिषद, बहेड़ी कहा जायेगा।

2. यह अधिसूचना तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8/9/2017  
(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-08/2017 6049 /न0वि0 एवं आ0वि0

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।

8/9/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-08/2017 6049 न0वि0 एवं आ0वि0

/पटना, दिनांक-11/9/17

प्रतिलिपि:-सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त,/सभी जिला पदाधिकारी,  
/महालेखाकार, बिहार, पटना/स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी,  
दरभंगा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास  
विभाग/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक  
कार्यार्थ प्रेषित।

8/9/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-08/2017 6049 न0वि0 एवं आ0वि0

/पटना, दिनांक-11/9/17

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

8/9/2017  
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

**बिहार सरकार**  
**नगर विकास एवं आवास विभाग**  
**अधिसूचना**

संख्या-05/न0वि0 (गठन)-08/2017 <sup>6042</sup> अधिसूचना संख्या- दिनांक-11/9/17/का निम्नलिखित  
अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के  
अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग

**Government of Bihar**  
**Urban Development and Housing Department**

**Notification**

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-08/2017 <sup>6050</sup> In exercise of the powers conferred by section 3 read with section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar desires to publish the following draft order for creation of Nagar Parishad, Baheri which is hereby published for the information of persons who are likely to be affected by it and to file objection/suggestion, if any, and notice is hereby given that the said draft would be considered after a month from the publication of this notification.

Objections/Suggestions received through the concerned District Magistrates/Divisional Commissioner during the draft publication will be considered under section-5 of the said Act.

**Draft Order**

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-08/2017 <sup>6050</sup> / In exercise of the powers conferred by sub section (1) (b) of Section-3 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11,2007) the Governor of Bihar is hereby pleased to declare the creation of a new Nagar Parishad, Baheri for making administrative provision and to enforce the provisions of the said Act in the areas falling in the circle of the following villages of the Baheri Block in the District of Darbhanga whose boundary are noted below:-

1 **Name of villages and Thana Nos**

(a) <b><u>Name of Village</u></b>	<b><u>Thana No.</u></b>
(A) 1. Baheri ka Ansh	81 (Baheri Purvi Panchayat),
2 Baheri ka Ansh	81(Baheri Pashchimi Panchayat)
3. Lagopur	75 (Samadhpora Panchayat)
4. Sonma	78 (Samadhpora Panchayat)
5. Bakmandal	79 (Samadhpora Panchayat)
6. Samadhpora	80 (Samadhpora Panchayat)
7. Aadharpur ka Ansh	73 (Samadhpora Panchayat)
8. Baghouni	87 (Baghouni Panchayat)

(b) **Boundary:-**

North-	Gangdah
South-	Shivaji Nagar (Zila-Samastipur)
East-	Manorbhauram (Prakhand-Biraul)
West-	Hathouri Dakshini

This area will be called the Nagar Parishad, Baheri

2. This notification shall come to force with immediate effect.

By the order of the Governor of Bihar

(Chaitanya Prasad)

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-08/2017

6050

UD&HD

Dated:- 11/9/17

Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette.

2. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

. Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-08/2017

6050

UD&HD

Dated:- 11/9/17

Copy to All Departments/Departmental Heads/All Divisional Commissioners/All District Magistrates/ Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Darbhanga/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/Principal Private Secretary to Principal Secretary, Urban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department

Memo No-05/ N. VI. (Gathan)-08/2017

6050

UD&HD

Dated:- 11/9/17

Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Patna for information and necessary action.

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department